BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक-27.02.2025

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से अल्पसमय में कराया जा रहा दंडित

◆श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

दिनांक 09.12.2023 को थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-290/2023 धारा-376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो), श्री धीरज शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-27.02.2025 को मा0 न्यायाधीश मधु डोगरा, मा0 न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम, ज्ञानपुर भदोही द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल निवासी चकजिवरानी मोढ़ थाना व जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष को **10 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड** से दंडित किया गया।